न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	24.11.2017	04.07.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–एफ.बी.ओ. श्री विनोद कुमार नारवानी पुत्र श्री शीतलदास नारवानी जाति सिन्धी निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक जिला टोंक मैसर्स विष्णु किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस डिपो आदर्श नगर देवली रोड टोंक जिला टोंक
2– मैसर्स विष्णु किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस डिपो आदर्श नगर देवली रोड टोंक जिला टोंक ...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 04.07 2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.08.2017 को समय 02:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विष्णु किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस डिपो आदर्श नगर देवली रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर श्री विनोद कुमार नारवानी पुत्र श्री शीतलदास नारवानी खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार नारवानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 3 कार्टून में 1–1 लीटर पैक के लगभग 24 पैकेट / बोतल पैक्ड अवस्था में **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** रखी हुई थी जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री विनोद कुमार नारवानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार नारवानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 9 / 16 एवं पैकिंग की दिनांक दिसम्बर / 2016 थी, वास्ते मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 1–1 लीटर पैक के चार पैक्ड पैकेट/बोतल खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** के 4 पैकेट प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये एवं लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1709 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1709 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री विनोद कुमार नारवानी पुत्र श्री शीतलदास नारवानी मैसर्स विष्णु किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस डिपो आदर्श नगर देवली रोड टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक ने कई पत्र भी प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा परन्तु कोई बिल पेश नहीं किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/3929 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/542/एक्ट/2017/542 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार विक्रेता श्री विनोद कुमार नारवानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मात्र एक बार दिनांक 18.01.2019 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु उसके बाद लगातार अनुपस्थित रहे। इससे प्रतीत होता हैं कि प्रार्थी अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस रिफाइंड **सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/— (अक्षरे दो लाख रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0